न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री राजेश कुमार नायक आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 47/2019

अनवान

1. सुभाष पारीक पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी झाड़ीसर तहसील व जिला नागौर
2. भुराराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर

वादीगण

बनाम

1. भंवरसिंह
2. माधोसिंह
3. विशालसिंह
4. भोजराजसिंह
5. गुलाबबाई
6. उच्छब बाई

पिसरान अगरसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा तहसील कोलायत जि बीकानेर राजस्थान

7. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्रीहनुमान गिरि वकील वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 1 से 4
3. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजुद इतला अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही
4. पैरोकार राज कोलायत

निर्णय

दिनांक 15/7/19

वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम समोरखी राजस्व तहसील कोलायत के खसरा नं. 135 रकबा 9.48 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम सयुक्त खाता में है । जिसमें वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा है । जिस पर सभी सहहिस्सेदार का बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है । वकील वादीगण ने निवेदन किया है कि खाता बड़ा होने के कारण विवादित भूमि को काश्त करने को लेकर सहकाश्तकारो के बीच मन मुटाव होने लगा व विद्युत कनेक्शन लेने व के.सी.सी बनवाने में परेशानी रहती है । वादीगण शांति प्रिय व्यक्ति है । किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नही करना चाहते है । इसलिये अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी, मंदी से मंदी

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

.....

Scanned by CamScanner

–करवाना चाहते है । दिनांक 22.03.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 से 6 को खाता विभाजन करवाने का कहा तो वे स्पष्ट इंनकार हो गये । जिससे वादीगण को प्रतिवादी गण के खिलाफ वाद कारण हासिल हुआ है । व तहसीलदार राजस्व कोलायत को लैण्ड होण्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई रिलीफ नही लेनी है । इस प्रकार उक्त दावा वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के द्वारा पेश कर खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम करने का अनुतोष चाहा गया है ।

सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को जरीये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अभिभाषक उपस्थित आया व दिनांक 07.06.2019 को जवाब दावा प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि का बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है । व प्रतिवादी संख्या 5,6 बावजुद इतला अनुपस्थित रहे इसलिये उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कि गई वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 से 6 का 1/3 हिस्सा रिकार्डेड है । मुताबिक वाद पत्र व जवाब दावा अनुसार वाद पत्र स्वीकार कर बाईमिटस एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन की प्राथमिक डिकी जारी करने का अनुतोष चाहा हमने उभय पक्ष के द्वारा पेश किये गये वाद पत्र एवं जवाब दावा एवं समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें वादगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है । तथा प्रत्येक खातेदार को अपना खाता तकसीम करवाने का उपचार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 53 में उपलब्ध है । ताकि एक खातेदार अपना अलग से खाता तकसीम करवाकर अपनी भूमि का बहतर सुधार कर सकता है व वित्तीय संसाधन जुटाकर अधिक उपजाऊ बना सकता है । व अलग से लगान कायमी होने से अपना लगान समय समय पर जमा करवा सकता है । जबकि सयुक्त खातेदार होने पर इन कार्यो पर अक्सर सहमति नही बन पाती उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त लम्बे अर्से से बहामी विभाजन अनुसार बताया है ।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है और प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है कि वादी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख 1 से 6 का 1/3 हिस्सा का खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम कर अलग खाते एवं लगान कायम करते हुये उनकी भूमि नजरीये नक्शा में अलग अलग रंगो में दर्शित करते हुये इस आश्य के प्रस्ताव तैयार कर 15 योम में इस न्यायालय में भिजवावे । ताकि प्रक्षकारान को अन्तिम डिकी विभाजन बाबत मंजुर कि जा सके ।

निर्णय अनुसार डिकी पर्चो बनाया जावे निर्णय व प्राथमिक डिकी की एक प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जावे

निर्णय आज दिनांके 15/7/2019 को सरे इलजास सुनवाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner